"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2011—चैत्र 11, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2011

क्रमांक एफ 9-14/2006/1-8.—राज्य शासन द्वारा श्री एम. एस. सोलंकी, सेवानिवृत्त अवर सचिव, को मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर संविदा नियुक्ति प्रदान की गई थी. संविदा नियुक्ति नियम 2004 कंडिका 7 (ख) के अनुसार 65 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण करने के फलस्वरूप पुन: संविदा नियुक्ति अवधि में एक वर्ष दिनांक 22-12-2010 से 21-12-2011 तक के लिए वृद्धि की जाती है.

2. इनकी संविदा नियुक्ति अवधि के दौरान यदि स्वीकृत पदों की पूर्ति हो जाती है, तो स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी. इनकी संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें संविदा नियुक्ति नियम के तहत पूर्वानुसार ही रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2011

क्रमांक 2264/एफ 20-29/2010/19/तक-4.—छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुए रूप में भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8) की धारा 4 सहपठित भारतीय पथकर (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 1932 (क्र. 8 सन् 1932) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा पूर्व के अधिसूचना क्र. 2233/22/92/06/19/तकनीकी, दिनांक 27 मार्च 2006 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य में पुलों पर उद्ग्रहित की जाने वाली पथकर की निम्नलिखित दरें अधिरोपित करती है :—

स. क्र.	वाहनों का विवरण	दिनांक 01-04-2011 से उद्ग्रहित किये जाने वाले पथकर की दरें
(1)	(2)	(3)
1.	टेम्पो, टेक्सी, मिनीबस मेटाडोर, भरा/खाली स्टेशन वेगन या उसके समकक्ष वाहन	40.00
2.	प्रायवेट कार, जीप पिकअप	20.00
3.	खाली ट्रक, भरी बस/खाली बस	60.00
4.	ट्रक लोडेड	80.00
5.	मल्टी एक्सल ट्रक ट्रेलर	100.00
6.	अर्थ मूव्हींग मशीनरी (प्रति टन)	12.00

ये दरें उन कार्यों पर लागू नहीं होगी जिनका सन्निर्माण किया जा रहा है या सरकार की निर्मित तथा स्थानांतरित योजना के अधीन सन्निर्माण किया जायेगा, जिसके लिए पूर्व में करार निष्पादित किए गए हैं.

किसी भी वाहन से पथकर की दरें दिन में केवल एक बार ही उद्ग्रहित की जाएगी जैसे 6.00 ए.एम. से 6.00 ए.एम. तक. उक्त समस्त दरें दिनांक 01-04-2011 से प्रवृत्त होंगी.

No. 2264/F 20-29/10/19/Tech-4.—In exercise of the powers conferred by Section 2 of the Indian Tolls Act (Chhattisgarh Amendment) Act, 1932 (No. 8 of 1932) read with Section 4 in its application to the State of Chhattisgarh of the Tolls Act, 1851 (No. VIII of 1851) and in supersession of the previous Notification No. 2233/22/92/06/19/Tech., dated 27th March, 2006 the State Government hereby, impose the following rates of tolls to be levied on bridges in the State.

S. No.	Description of Vehicles	Rate of tolls to be levied from 01-04-2011
(1)	(2)	(3)
1.	Tempo, Texi, Minibus, Matador, Loaded or Empty Station Wagon or equivalent vehicle.	40.00
2.	Private Car, Jeep Pickup	20.00
3.	Empty Truck, Loaded Bus and Empty Bus	60.00
4.	Loaded Truck	80.00
5.	Multi Axle Truck Trailer	100.00
6.	Earth Moving Machinery (per ton)	12.00

These rates shall not be applicable on those works which are being constructed or shall be constructed under Build Operate and Transfer Scheme of the Government, for which agreements have already been executed.

The toll rates will be levied only once in a day i.e. from 6.00 AM to 6.00 AM from any vehicle. The above all rate shall come into force from 01-04-2011.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 3 मार्च 2011

क्रमांक क/भू-अर्जन/5/अ-82/10-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	खण्डसरा	1.53	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम जलाशय परियोजना अन्तर्गत स्पिल चैनल (च्यूटफाल) निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 फरवरी 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	हसौद प.ह.नं. 29	0.376	कार्यपालन अभियन्ता, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	हसौद गुजियाबोर मार्ग पर सोननदी पर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 मार्च 2011

क्रमांक-क/भू-अर्जन/593.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	बलौदा	बक्सरा प.ह.नं. 31	83.015	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.).	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पद्रेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 6 जनवरी 2011

क्रमांक/भू-अर्जन/02/अ-82/10-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सलका	1.55	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	सलका व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव

बिलासपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2010

क्रमांक 05/अ-82/2009-2010.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	खुरपा	11.98	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	गुजरनाला जलाशय शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 फरवरी 2011

क्रमांक क/07/अ-82/08-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	मटसगरा	0.59	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	घोंघा जलाशय योजना के अंतर्गत मटसगरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 मार्च 2011

क्रमांक 07/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	घुटकू प. ह. नं. 30	30.40	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लछनपुर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत आर.बी.सी. नहर निर्माण कार्य के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 मार्च 2011

क्रमांक 08/अ-82/2010-2011.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियमं, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	मझवानी प. ह. नं. 15	23.44	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 मार्च 2011

क्रमांक 09/अ-82/2010-2011.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	आमामुडा प. ह. नं. 16	14.80	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र. 2 अ/82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (आरे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	बनसांकरा प. ह. नं. 12	64	0.14	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. डिसनेट संभाग क्र.-3 तिल्दा, जिला-रायपुर छ.ग.	सिमगा वितरक नहर के निर्माण हेतु.
			67	0.21		
			86	0.04		
			88	0.07		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1120	0.13		
			1138	0.15		
			1137	0.03		
			1255	0.07		
			1232	0.10		
			1253	0.06		
			1304	0.07		
			1614	0.03		
			1303	0.03		
			1543	0.29		
			1678	0.22		
			1707	0.11		
			1708	0.02		
			1743	0.17		
			70	0.24		
			75	0.33		
			1226	0.02		
			1119	0.11		
			1140	0.04		
			1139	0.18		
			1227	0.06		
			1754	0.08		
			1275	0.02		
			1254	0.07		
			1277	0.08		
			1505	0.13		
			1276	0.02		
			1271	0.04		
			1712	0.08		
			1295	0.01		
			1306	0.09		
			1319	0.05		
			1351/1	0.07		
			1510	0.02		
			1511	0.01		
			1675	0.02		
			1588	0.11		
			1544	0.02		
			1753	0.21		
			1757	0.09		
			1589	0.14		
			1749	0.01		
			1750	0.14		
			1280	0.01		
			1752	0.12		
			1758	0.14		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1759	0.12		
			73	0.14		
			1590	0.14		
			87	0.14		
			1617	0.10		
			1744	0.15		
			1121	0.19		
			1762	0.04		
			1228	0.04		
			1305	0.16		
			1229	0.09		
			1230	0.10		
			1278	0.10		
			1231	0.08		
			1256	0.01		
			1318	0.20		
			1351/4	0.04		
			1350	0.04		
			1508	0.07		
			1501	0.16		
			1545	0.01		
			1506	0.01		
			1550	0.04		
			1551	0.07		
			1615	0.09		
			1616	0.11		
			1618	0.01		
			1705	0.19		
			39/1	0.35		
			1502	0.01		
			1503	0.05		
			1713	0.21		
			39/2503	0.51		
			1552	0.05		
			1677	0.10		
			1741	0.02		
			65	0.01		
			79	0.01		
			1704	0.02		
			1587	0.01		
			66/2	0.01		
		योग	91	8.70		

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2011

क्रमांक/988/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 06 अ./82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	चेरिया प. ह. नं. 28	1	0.09	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर.	नया रायपुर परियोजना अंतर्गत, आय.आय.एम. निर्माण हेतु.
			4	0.23		
			3	0.02		
			25	0.55		
		योग	4	0.89		

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./18/अ.-82/वर्ष 2009-10—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	रांवाभाठा प. ह. नं. 28	124/2	0.108	आयुक्त, उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़, रायपुर.	मेटल पार्क पहुंच मार्ग हेतु.
			124/23, 124/39	0.200		
			165/1	0.122		
			124/25	0.162		
			124/90	0.178		
			136/14	0.431		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			138/3	0.202		
			366/1, 366/2, 366/3	0.405		
			376	0.425		
			377	0.352		
			379/1	0.056		
			379/2, 380/2	0.162		
			381/1	0.202		
			381/2	0.121		
			382	0.041		
			387/1	0.446		
			390/2	0.243		
			387/4	0.849		
			328/21	0.304		
			124/24	0.187		
			390/4	0.081		
			136/18	0.134		
			379/5	0.025		
		योग	23	5.436		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 5 फरवरी 2011

क्रमांक/1033/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	मचानपार प. ह. नं. 07	0.776	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के मुख्य नहर निर्माण हेतु पूरक प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 फरवरी 2011

क्रमांक/1034/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	आलीखूंटा प. ह. नं. 03	0.101	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के मुख्य नहर निर्माण में अर्जित भूमि का पूरक प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 फरवरी 2011

क्रमांक/1035/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	धौराभांठा प. ह. नं. 06	0.991	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के मुख्य नहर निर्माण में अर्जित भूमि का पूरक प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 फरवरी 2011

क्रमांक/1059/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	भांठाबम्हनी प. ह. नं. 12	2.499	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के डुबान में अर्जित भूमि का पूरक प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 फरवरी 2011

क्रमांक/1060/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	खम्हेरा प. ह. नं. 12	6.983	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के डुबान में अर्जित भूमि का पूरक प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 फरवरी 2011

क्रमांक/1061/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	चिचदो प. ह. नं. 12	1.002	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज. के शीर्ष डाऊन स्ट्रीम दायीं तट पर गाईड बण्ड हेतु मुआवजा प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 जनवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/22/अ-82/2009-10.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ द्वारा ग्राम-बड़े भण्डार, प.ह.नं. 39 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जुमला 0.918 हे. औद्योगिक प्रयोजनार्थ अंतर्गत भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा 4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा 6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 16-7-2010 तथा दिनांक 01-10-2010 को कराया गया है.

चूंकि अब महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित भूमि को अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर है. अत: भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-बड़े भण्डार

क्रमांक	खसरा नंबर	रकबा (हे.)
1.	361/1	0.454
2.	371/3, 377	0.464
	योग	**0.918**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 23 फरवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-लोकेर, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.171 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	465	0.192
	467	0.096
	475	0.174
	410	0.144
	484	0.144
	482/1	0.148
	452	0.064
	443	0.112
	485	0.236
	442	0.004
	444	0.052
	449	0.060
	446	0.064
	445	0.064
	362	0.008
	398	0.008
	313	0.004
	414	0.080
	413	0.004
	411/1	0.080
	412/1	0.101
	371/1	0.086
	371/2	0.124
	411/2	0.012
	412/2	0.112
	586	0.112
	312	0.148
	407	0.096
	380	0.252
	355	0.302
	585	0.032
	415	0.004
	408	0.052
योग	33	3.171

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोकेर जलाशय योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 23 फरवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-राजाआमा, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.401 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
375/1	0.024

	(1)	(2)
	377/1	0.032
	376	0.008
	407	0.032
	403	0.024
	400/27	0.020
	400/25	0.080
	417/3 क	0.024
	442/2	0.016
	417/2	0.021
	441	0.028
	440	0.012
	167/2	0.020
	417/1	0.024
	442/3	0.016
	443	0.020
योग	16	0.401

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खमगड़ा जलाशय योजना के सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 3 फरवरी 2011

प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बिजौर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.37 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
11/6	0.05
11/8, 11/10	0.62
11/9	0.01
10/1	0.01
11/14	0.64
11/31	0.12
46/3	0.80
9	0.25
8/5	0.15
46/5	0.25
46/8	0.03
45/4	0.28
46/5	0.24
46/4	0.30
44/1	0.31
42/2	0.33
44/2	0.58
43	0.39
40/4	0.20
40/5	0.47
40/1	0.36
40/6	0.40
39/2	0.88
37, 39/1	0.12
106	0.02
105/2	0.75
130/1	0.63
181	0.37
107	0.45
108/5	0.08
129/2	0.04
132/3	0.13
130/2	0.02
139/3	0.05
180	0.25
182	0.37

(1)	(2)
183/2	0.36
178/2, 3	0.15
184/1	0.01
179	0.54
176	0.09
185/3	0.14
173/1	0.52
174/1	0.07
175	0.34
170/1, 171/1	0.14
174/2	0.06
योग 47	13.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोनी से मोपका बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 फरवरी 2011

प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मोपका
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.69 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1728	0.23
1682	0.45
1788/1	0.16
1694/1	0.21
1789/2	0.26
1784/2	0.21
1729	0.22
1727	0.10
1724/1	0.05
1723	0.39
1722	0.26
1721	0.40
1720	0.22
1679/2	0.46
1719	0.05
1679/1	0.05
1684	0.35
1681	0.19
1695/2	0.24
1693/1	0.08
1789/1	0.05
1696	0.20
1697/1	0.16
1786	0.15
1788/2	0.15
1790/3	0.04
1789/3	0.29
1782	0.54
1781/2	0.18
1900	0.19
1901	0.80
1893	0.21
1894/1	0.17
1894/2	0.05
1892	0.59
1885	0.21
1883	0.08
1882	0.06
1881	0.11
1943	0.03
1960	0.12
1961	0.17
1962	0.23
1963/1	0.22
1865	0.10
1864	0.23
1863	0.30
1862/1	0.02

	(1)	(2)
	2574/1	0.08
	2574/2	0.23
	1683/1	0.15
योग	51	10.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोनी से मोपका बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2011

क्रमांक/01/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर छ. ग.
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-परसापानी, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-05.16 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	05	4.32
	15	0.84
योग	2	5.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सतनाला व्यपवर्तन योजना डुबान क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 फरवरी 2011

क्रमांक 1/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-साल्हेघोरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.74 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
247	0.03
290	0.25
288	0.11
272	0.17
312	3.00
294	0.21
299	0.52
311	0.78
316	0.01
330	0.20
201	0.35
298	0.30
245	0.17
248	0.15
320	0.59
318	0.20
451	0.14
302	1.09
375	0.14
232	0.28
236	0.61
246	0.22

	(1)	(2)
	317	0.22
योग	23	9.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छेरीछापर जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 फरवरी 2011

क्रमांक 5/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-मरवाही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.16 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	45/1	0.26
	1	0.41
	47/1	0.78
	47/5	0.28
	7	0.15
	256/3	0.16
	312	0.04
	59	0.34
	60/1	0.28
	2/1	0.05
	324	0.18
	251	0.17
	333/2	0.03
	2/2	0.36
	61/1	0.75
	257	0.10
	62	0.30
	317/3	0.34
	256/4	0.25
	258	0.12
	332/1	0.40
	267/2 ख	0.22
	259/5	0.21
	262	0.06
	264/1	0.04
	325	0.12
	331	0.82
	6/3	0.41
	10/2	0.67
	47/3	0.30
	52/1	0.19
	327/1	0.04
	60/2	0.32
	265/2	0.32
	322/1	0.16
	64	0.01
	252	0.15
	21/1	0.51
	250	0.14
	326/1	0.14
	328	0.29
	14/1	0.04
	327/2	0.04
	332/5, 332/6, 332/7	0.57
	42/1	1.17
	259/1	0.20
	48	0.27
योग	49	13.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुम्हारी व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 फरवरी 2011

क्रमांक 6/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-मनौरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.01 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
873/2	0.03
917/2	0.30
870	0.22
918	0.09
866/1	0.16
866/3	0.16
865	0.06
864	0.07
963/1	0.11
863	0.28
960	0.20
959/2	0.17
961	0.02
965	0.11
958	0.13
966	0.23
967/1	0.14
967/2	0.10
968/6	0.03
1043/2	0.22
1044/1	0.06
1044/2	0.06
1044/3	0.06
योग	3.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुम्हारी व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 फरवरी 2011

क्रमांक 19/अ-82/09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-चिचगोहना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.60 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
445/1	0.15
446/2	0.17
448/3	0.18
448/1	0.09
448/2	0.25
449/3	0.40
449/1	0.45
452/2	0.49
448/4	0.17

	(1)	(2)
	449/2	0.25
योग	10	2.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुम्हारी व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 फरवरी 2011

क्रमांक 10/अ-82/09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर छ. ग.
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.44 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	742	0.16
	743/2	0.10
	738/1	0.30
	740	0.11
	741/1	0.50
	741/2	0.51
	743/1	0.05
	743/3	0.05
	743/4	0.05
	743/5	0.05
	751/1	0.19
	751/2	0.18
	751/3	0.19
योग		2.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम दिनांक 24 जनवरी 2011

रा. प्र. क्र. 34 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-कुम्हारी, प. ह. नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.754 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/7	0.009
37	0.040
41/4	0.008
40	0.037

	(1)	(2)
	4/19	0.016
	4/21	0.032
	33/3	0.145
	33/2	0.019
	32	0.019
	19/4	0.016
	30/8	0.089
	30/2	0.051
	30/10	0.047
	28/1	0.007
	16/2	0.021
	20/2	0.046
	21	0.095
	22	0.035
	29/3	0.022
योग	19	0.754

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर हेतु (पूरक प्रकरण).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम दिनांक 24 जनवरी 2011

रा. प्र. क्र. 35 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-सहसपुर लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-सुरजपुरा, प. ह. नं. 56
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.240 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	254/4	0.106
	260	0.028
	255/3	0.074
	255/4	0.032
योग	4	0.240

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैराज परियोजना के अंतर्गत दुल्लापुर वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. संगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2011

क्रमांक/15/क/भू-अर्जन/प्र.क्र. 01 अ/82, वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-सिमगा
- (ग) नगर/ग्राम-सिमगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.248 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
618/1	0.267

(1)	(2)
616/2	0.138
612/1	0.081
612/2	0.004
612/4	0.020
613	0.295
609	0.004
606/1	0.036
602/1, 2, 3	0.303
697/1	0.101
698	0.255
699	0.004
702	0.089
700/2	0.004
701/1	0.271
701/2	0.510
701/3	0.113
614	0.089
703, 704/1	0.109
710/2	0.012
711/1	0.081
731/3	0.154
711/2	0.065
731/10, 11	0.478
988/1	0.025
988/2	0.057
989/1	0.040
1028/3	0.049
989/5	0.045
989/2, 7, 8, 9	0.069
1059/1	0.085
1061/4	0.202
1055/2, 1060/2	0.194
1055/10	0.040
558	0.073
1060/1	0.198
1061/1	0.447
1044/6	0.044
1044/2	0.040
1044/7	0.129
1046/3	0.032
1046/1	0.178
543/1	0.101
1047	0.012
1045/3	0.073
544	0.093
551/5	0.008
512	0.538
505/1	0.125
506/2	0.036
503/1, 503/2	0.138
559	0.129
543/2	0.093
550	0.384
551/3	0.004
548/5	0.028
549/1	0.065
548/2	0.259
989/6	0.078
1045/1	0.073
1045/2	0.073
703, 704/3	0.057
703, 704/4	0.081
1059/2	0.085
1061/3	0.072
1030/12	0.123
990/1	0.105
1026/5	0.255
1028/2-6	0.061
1030/9	0.190
1028/7	0.057
1028/1	0.053
610	0.012
989/4	0.037
1028/4	0.057
506/1	0.012
729	0.024
561	0.057
1033/9	0.040
988/8	0.069
1026/3	0.061
योग 80	9.248

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिमगा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./03/अ-82, वर्ष 10-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-तिल्दा
(ग) नगर/ग्राम-शंकर नगर, प. ह. नं. 110
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.070 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1185/11	0.028
	1185/16	0.020
	1236/01, 1270/01, 1273/01, 1275/01	0.020
	1236/03, 1270/03, 1273/03, 1275/03	0.002
योग	04	0.070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- शंकर नगर खम्हारडीह कचना मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रायपुर में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2011

क्रमांक/14/क/भू-अर्जन प्र.क्र. 19/अ-82, वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-सिमगा
(ग) नगर/ग्राम-कामता
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.397 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1235/17	0.397
योग	01	0.307

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिमगा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र. 20 अ/82, वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-सिमगा
(ग) नगर/ग्राम-दुलदुला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.75 आरे.

खसरा नम्बर	रकबा (आरे. में)
(1)	(2)
716	0.03
1055	0.15

	(1)	(2)
	1118	0.04
	1119	0.04
	1168	0.06
	1080	0.07
	1121	0.08
	1108	0.01
	1112	0.04
	717	0.20
	1097	0.01
	1113	0.09
	1098	0.01
	1110	0.08
	1109	0.06
	1083	0.03
	1105	0.02
	1104	0.15
	1081	0.08
	1084/2	0.01
	1086	0.03
	1085	0.06
	1057	0.17
	1101/1	0.04
	1103	0.02
	1138	0.01
	1101/2	0.04
	1059	0.01
	1123	0.11
योग	29	1.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिमगा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र. 21 अ/82, वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-सिमगा
- (ग) नगर/ग्राम-पौंसरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.05 आरे.

	खसरा नम्बर	रकबा (आरे. में)
	(1)	(2)
	1419	0.15
	1420	0.01
	1421	0.01
	1418	0.05
	1416	0.08
	1412	0.02
	1411	0.11
	1422	0.06
	1435	0.03
	1436	0.01
	1452	0.01
	1453	0.01
	1474	0.04
	1486	0.03
	1438	0.02
	1451	0.04
	1450	0.19
	1475	0.03
	1487	0.06
	1509	0.02
	1512	0.04
	1513	0.03
योग	22	1.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिमगा वितरक नहर के माइनर क्र. 3 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र. 22 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-सिमगा
(ग) नगर/ग्राम-औरैठी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.197 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	272/1	0.020
	272/3	0.032
	272/2	0.032
	275	0.045
	277	0.210
	276	0.117
	278/2	0.004
	283/1	0.093
	283/2	0.146
	290/1	0.065
	283/4	0.016
	290/2	0.299
	290/6	0.004
	290/4	0.049
	274	0.065
योग	15	1.197

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सिमगा वितरक नहर के माइनर क्र. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र. 13 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-भाटापारा
(ग) नगर/ग्राम-रामपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.372 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	764/15	0.162
	764/16	0.004
	764/17	0.206
योग	3	0.372

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लालपुर उप-नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2011

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./14/अ-82, वर्ष 09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-डूमरतराई, प. ह. नं. 105
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.754 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	308	1.073
	308/8	0.405
	308/9	0.405
	308/10	0.263
	311/6	0.405
	311/4	0.405
	311/5	0.393
	311/9	0.405
योग	8	3.754

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- थोक बाजार के विस्तार हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 जनवरी 2011

भू-अर्जन प्र. क्र. 22/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ेभंडार, प. ह. नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.194 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	286/2, 374/2 ख	0.109
	202/4	0.085
योग	2	0.194

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 जनवरी 2011

भू-अर्जन प्र. क्र. 23/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-सरवानी, प. ह. नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.010 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
558/4	0.010
योग 1	0.010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 मार्च 2011

भू-अर्जन प्र. क्र. 06/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-बनसिया, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-39.585 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
844/4	0.016
1030/9	0.364
1076/2	0.207
1146/7	0.131
1148/3	0.061
1038	0.158
1110	0.053
1126	0.178
1251/2	0.040
1044/2	0.073
1079	0.223
1047/2	0.081
1078	0.040
1074/3	0.028
1135/1 ख	0.049
1095	0.384
1127/1	0.396
1093	0.138
1094	0.057
1124/1	0.121
1091	0.089
1111	0.040
1125/2	0.081
1134/2	0.024
1030/6	0.413
1140/3	0.024
1092	0.121
1142	0.259
1143	0.142
1170/2	0.275
1085/2	0.053
1247/1 क	0.558
1247/1 ख	0.057
1080	0.198
1008	0.134
1138/1	0.150
1061	0.088
1030/2	0.267
1030/5, 1146/2	0.121
1159/2	0.263
1162/1 क	0.182
1162/1 ख	0.036
1010/2	0.097
1074/2	0.028
1088/1	0.008
1147/4	0.182
1163/4	0.081
1247/1 घ	0.093
1147/1	0.093
1060	0.254
1097	0.522
1161/2	0.231
1163/1266/3	0.202
1146/1, 1159/1	0.271
1161/1	0.247
1162/2	0.255

(1)	(2)	(1)	(2)
1128/2	0.259	1147/5	0.085
1011/1	0.031	1160	0.255
1170/1	0.222	1189/1	0.089
1184	0.019	1189/2	0.028
1070	0.097	1189/3 क	0.027
1130	0.154	1189/3 ख	0.011
1071	0.089	1199	0.186
1039/1	0.109	1040/4	0.069
1039/2	0.085	1140/4	0.073
1007/1	0.333	1153/2	0.275
1049/3	0.055	1151/1	0.215
1050/1	0.064	1030/7	0.101
1007/3	0.106	1030/8	0.040
1049/4	0.054	1076/5	0.186
1009	0.024	1146/6, 1159/6	0.132
1022/1	0.034	1040/2 क	0.045
1028	0.299	1010/1	0.053
1044/1	0.073	1012	0.008
1047/1	0.251	1074/1	0.052
1141	0.049	1135/2	0.008
1090	0.045	1134/1	0.218
1137	0.299	1135/1 क	0.287
1191/1	0.295	1157	0.158
1191/2	0.295	1164	0.275
1155	0.142	929	0.118
1190	0.190	1105/1	0.050
1075/2	0.065	1105/2	0.051
1109/1	0.102	1118	0.105
1109/2	0.121	1136	0.299
1084	0.097	1154	0.093
1085/1	0.045	1244/1	0.328
1098/1	0.214	1244/2	0.162
1101	0.543	1267	0.243
1102	0.166	1171	0.073
1103/1	0.162	1175	0.267
1108	0.352	1133/2 क	0.142
1112	0.109	1131/2, 1132/2	0.084
1113	0.109	1132/1	0.089
1114	0.117	1133/1	0.105
1115	0.121	1081	0.227
1122	0.061	1082	0.182
1123	0.227	1089	0.713
1127/2	0.089	1072/3	0.340
1128/3	0.032	1107	0.186
1125/1	0.036	1116	0.194
1131/1	0.056	1145	0.392

(1)	(2)	(1)	(2)
1176/4	0.083	1033	0.237
1120	0.105	1051	0.138
1128/1	0.227	1250	0.085
1146/4, 1159/4	0.271	1254, 1255	0.328
1076/3	0.286	1259/1	0.223
1077	0.315	1259/2	0.040
928	0.210	1036/1	0.223
1087	0.020	1036/2	0.089
1121	0.109	1117/1	0.075
1046/3	0.081	1117/2	0.074
1098/2	0.089	1117/3	0.074
1098/3	0.113	1040/2 ख	0.045
1100	0.505	1040/3	0.069
1041/2	0.219	1041/1	0.214
1042/1	0.263	1043/3	0.142
1042/2	0.263	1054/2	0.065
926/1	0.038	1044/4	0.069
1030/1	0.101	1072/2	0.182
1030/3	0.040	1045/1	0.069
1044/3	0.073	1045/3	0.101
1076/1	0.184	1044/2	0.057
1140/1	0.024	1045/4	0.049
1146/3, 1159/3	0.131	1046/2	0.046
1040/1	0.045	1147/2	0.081
1149/1	0.291	1046/4	0.047
1149/2	0.162	1048	0.324
1149/3	0.267	1049/1	0.121
1053	0.186	1049/2	0.061
1083	0.081	1148/1	0.036
1086	0.053	1180/4	0.067
1045/2	0.065	1180/5	0.129
1124/2	0.040	1050/2	0.129
1125/3	0.040	1072/1	0.020
1144/3	0.061	1046/1	0.150
1052	0.134	1027/1	0.121
1075/1	0.109	1133/3	0.089
1119	0.089	1140/2	0.024
1007/2	0.194	1138/2	0.154
1043/2	0.057	1139	0.154
1073	0.125	1141/2	0.081
1256	0.142	1144/1	0.036
1103/2	0.032	1147/3	0.121
1104	0.388	1027/2	0.089
1022/2	0.078	1043/1	0.142
1030/4	0.182	1054/3	0.065
1030/10	0.061	1148/2	0.036
1146/5, 1159/5	0.132	1150	0.089

(1)	(2)
1151/2	0.207
1152/1	0.206
1152/2	0.106
1153/1	0.134
1156	0.231
1158	0.081
1176	0.348
926/1	0.129
1029	0.040
1037	0.267
1069	0.025
1163/1266/1	0.405
1163/1266/2	0.109
1163/1266/4	0.174
1165/1	0.291
1172	0.279
1173/1	0.348
1173/2	0.101
1186/1	0.008
1233/1 क	0.040
1233/1 ख	0.037
1241/1	0.310
1241/2	0.031
1242/1	0.138
1242/2	0.113
1242/3	0.081
1242/4	0.332
1242/5	0.081
1242/6	0.129
1247/1 ग	0.061
1096	0.166
योग 281	39.585

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-पावर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा 765/400 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण किए जाने हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 मार्च 2011

भू-अर्जन प्र. क्र. 07/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पटेलपाली, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.310 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
92/1	0.239
93/3	0.539
93/1	0.186
93/2	0.388
93/4	0.004
96/1	0.405
96/2	0.263
96/3	0.152
96/4	0.515
102/1	0.142
102/2	0.141
97/1 क	0.085
97/1 ख	0.186
97/3	0.267
98/1	0.813
98/2	0.591
98/3	0.348
100/1	0.004
101/1 क	0.107
101/1 ख	0.107
104/2	0.202
104/3	0.202
104/4	0.202
104/5	0.202
104/6	0.202

(1)	(2)
104/7	0.202
104/8	0.202
104/9	0.202
104/10	0.202
104/11	0.202
104/12	0.202
104/13	0.202
104/14	0.202
104/15	0.202
योग 34	8.310

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-पावर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा 765/400 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण किए जाने हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 मार्च 2011

भू-अर्जन प्र. क्र. 08/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-तरकेला, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-21.525 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1221/1	0.204
1222/1	0.016
1221/2	0.070
1233/2	0.049
1233/3	0.272
1234/1	0.150
1350/8	0.113
1369/2	0.190
1370/2 क	0.057
1234/2	0.033
1235/2	0.206
1236/2	0.462
1234/3	0.065
1350/4	0.057
1234/4	0.028
1234/5	0.038
1234/6	0.065
1235/1	0.308
1235/3	0.101
1236/1 क	0.388
1236/1 ख	0.388
1237/1	0.344
1238/1	0.016
1243/2	0.132
1247/3	0.040
1251/1	0.014
1239/1 क	0.024
1242/1	0.045
1241/2	0.049
1242/2 क	0.081
1242/2 ख	0.045
1248/2	0.065
1242/2 ग	0.040
1243/1	0.263
1243/3	0.384
1252/4	0.089
1243/4	0.131
1251/6	0.014
1252/2	0.154
1244/1	0.129
1244/2	0.125
1254/2	0.190
1245	0.218
1246	0.239
1247/1	0.024
1251/4	0.028
1247/2	0.028
1251/5	0.012
1247/4	0.049

(1)	(2)	(1)	(2)
1251/2	0.028	1363	0.510
1247/5	0.024	1364/1 क	0.040
1251/3	0.012	1366/2 क	0.024
1248/1	0.045	1366/2 ग	0.081
1256/2	0.198	1366/2 घ	0.016
1366/2 ङ	0.020	1367/2 क	0.202
1260/2	0.129	1367/2 घ	0.016
1261/1	0.150	1367/2 च	0.036
1261/2	0.149	1368	0.142
1264/1 क	0.028	1379/1	0.044
1264/1 ख	0.028	1380	0.030
1265	0.158	1369/1	0.040
1266/1	0.069	1258/2	0.053
1266/4	0.008	1267/2	0.081
1267/1	0.089	1350/2	0.227
1342/2 क	0.028	1353/1	0.198
1342/2 ख	0.097	1240/1	0.057
1342/2 ग	0.279	1266/2	0.057
1348/1	0.210	1267/4	0.040
1355/1 क	0.210	1350/1	0.020
1355/2 क	0.080	1354/1	0.069
1346/3 क	0.223	1360/1 ग	0.008
1347/1	0.178	1360/2 क	0.012
1348/2	0.210	1364/1 घ	0.020
1348/2	0.210	1367/2 ख	0.053
1355/1 ख, 1355/2 ख	0.085	1240/2	0.113
1349/1	0.146	1240/3	0.057
1350/9	0.012	1266/3	0.008
1364/3	0.040	1267/5	0.040
1267/2 ग	0.032	1350/6	0.020
1349/2	0.287	1354/3	0.073
1360/1 ख	0.016	1360/1 च	0.004
1362/1 क	0.020	1360/2 ख	0.016
1364/1 ग	0.057	1364/1 ङ	0.020
1366/3	0.158	1367/2 ङ	0.049
1367/1	0.210	1241/1	0.045
1360/1 घ	0.012	1268/1	0.061
1360/3 क	0.016	1357/2	0.251
1364/1 च	0.032	1248/3	0.016
1366/2 ख	0.016	1250	0.117
1364/2	0.040	1252/1	0.040
1362/1 ख	0.045	1252/3	0.142
1361	0.178	1253/1	0.255
1365/1	0.360	1347/2	0.445
1362/3	0.031	1254/1	0.097
1366/1 ख	0.061	1255	0.526

(1)	(2)
1256/1	0.202
1256/3	0.198
1267/3	0.073
1257/1 क	0.060
1257/1 ख	0.061
1257/2	0.263
1257/3 क	0.071
1257/3 ख	0.071
1259/1	0.138
1259/2	0.137
1258/1	0.158
1260/1	0.069
1362/2 ख	0.016
1366/1 क	0.061
1356/1	0.201
1358/1	0.255
1350/3	0.028
1350/5	0.089
1360/3 ख	0.040
1362/2 क	0.045
1350/7	0.016
1360/1 ख	0.012
1360/4	0.028
1350/10	0.012
1367/3 क	0.016
1351	0.251
1352/1	0.202
1352/2	0.051
1352/3	0.051
1352/4	0.101
1354/2	0.089
1354/4	0.049
1355/1 ग, 1355/2 ग	0.085
1356/2	0.065
1357/1	0.251
1358/2	0.125
1360/1 क	0.028
1369/3	0.081
1369/5	0.061
1372/1 क	0.394
1369/4	0.081
1370/2 ख	0.134
1370/2 ग	0.053
1370/2 ख	0.024
1370/2 घ	0.057
1371/1	0.146
1372/1 ख	0.016
1372/1 ग	0.024
1372/2	0.081
1373	0.085
1374/2	0.045
1376/1	0.352
1377/1	0.016
1378/1	0.344
1387/1	0.066
1376/2	0.024
1377/2	0.024
1378/2	0.332
योग 201	21.525

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-पावर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा 765/400 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण किए जाने हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सराईपाली, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.538 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
107/2	0.299

	(1)	(2)
	107/3	0.287
	99/2	0.308
	99/1	0.393
	101/2	0.093
	102/2	0.138
	106	0.065
	107/1	0.369
	103/2	0.441
	102/1	0.068
	101/1	0.077
योग	11	2.538

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-बरमुडा, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-33.874 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7/4	0.061
13/4	0.328
28/4	0.202
144/3	0.109
144/4	0.275
144/10	0.344
147/3	0.073
153/4	0.109
148/4	0.121
159/5	0.405
148/2	0.121
159/1	0.688
159/51	0.243
159/56	0.324
11/17	0.170
143	0.308
144/13	0.223
151/5	0.190
11/7	0.061
17/1	0.089
19/5 ड	0.114
11/2	0.275
19/7	0.129
11/6	0.093
11/12	0.190
19/14	0.125
11/9	0.243
19/5 क	0.242
138/1	0.113
141/3	0.206
146/2	0.219
22	0.190
26	0.206
30	0.182
37	0.510
139/1	0.057
159/2 ख	0.260
11/4 क	0.182
11/9 ख	0.555
11/11 ख	0.121
19/5 ख	0.121
19/8	0.263
142/3	0.061
156/1	0.194
17/2	0.085
33/2	0.129
38/2	0.287
40/5	0.032
1/1	0.085

(1)	(2)
4/3	0.024
4/5	0.040
11/8	0.182
151/2	1.019
152/3	0.032
138/2	0.089
141/1	0.049
141/4	0.235
146/3	0.324
151/4	0.255
152/2	0.121
152/4	0.166
154/2	0.202
4/22	0.129
4/23	0.040
136	0.061
155/3	0.219
19/5 घ	0.186
19/5 च	0.206
40/2 क	0.158
5/3	0.049
11/4 ख	0.271
11/9 ग	0.405
11/11 क	0.251
11/13	0.057
11/14	0.109
19/1	0.194
19/5 ग	0.223
19/10	0.174
19/14	0.125
19/16	0.028
43/5	0.113
11/9 ङ	0.202
11/18	0.032
19/5 झ	0.121
19/5 ज	0.057
14	0.615
15	0.073
19/3	0.328
19/4	0.170
19/11	0.105
19/15	0.162
141/2	0.567
146/1	1.197
154/1	0.291
27/1	0.551

(1)	(2)
2	0.057
144/11	0.729
1/2	0.085
1/4	0.332
4/2	0.024
4/4	0.040
4/7	0.077
4/12 क	0.210
11/8	0.182
19/9	0.158
38/1	0.182
11/10	0.210
159/3	0.684
159/7	0.049
159/15	0.101
150/2	0.271
151/8	0.134
151/6	0.053
151/7	0.081
150/1	0.182
144/8	0.344
21/2	0.773
36/2	0.291
39/1	0.332
159/4	0.405
159/6	0.202
159/50	0.276
148/8	0.202
152/1	0.150
154/3	0.081
21/1	0.773
36/1	0.291
151/1	0.170
19/10	0.174
139/2	0.053
142/2	0.032
145/2	0.320
40/1	0.045
40/2 ग	0.113
29/2	0.057
10/3	0.117
31/3	0.150
21/3	0.769
36/3	0.295
149/2	0.101
149/3	0.239
23/2	0.304

(1)	(2)
25/2	0.150
16/2	0.166
18	0.388
35/2	0.546
23/1	0.174
25/1	0.040
16/1	0.057
35/1	0.045
149/1	0.162
20	0.194
41	1.530
योग 150	33.874

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मार्च 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोसमपाली, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.091 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
93/2	0.142
93/[illegible]	0.032
300/10 क	0.303
86/21	0.235
86/4	0.291
86/11/2 ख	0.393
300/5 ख	0.081
300/8 ख	0.154
300/9 क	0.030
300/9 ख	0.051
86/9/1	0.112
86/9/2	0.526
86/10 ग	0.081
86/15	0.206
300/5 ग	0.202
282	0.125
302	0.943
86/10 क	0.194
286/4	0.020
297/1 ख	0.190
86/10 ख	0.621
74/1	0.085
80/2	0.186
80/4	0.267
80/5	0.101
86/3 क/2	0.161
86/2 ख	0.008
86/17	0.041
73/2	0.065
73/3	0.061
74/3	0.049
74/4	0.057
86/11/1 ख	0.405
81/1	0.093
86/12 ख	0.118
86/11/2 क	0.429
111/1	0.045
286/1	0.016
86/14/2	0.160
86/14 ख	0.081
81/2	0.073
83	0.101
86/6	1.485
86/13	0.413
86/3 क/3/2	0.130
79/1	0.077
73/1	0.024
151/4/1	0.486

	(1)	(2)
	85	1.307
	86/8/1 ख	0.405
	86/22/1	0.220
योग	51	12.091

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 मार्च 2011

भू-अर्जन प्र. क्र. 09/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-रायगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-कोतरा, प. ह. नं. 09
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.869 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	318/1 ख	0.081
	318/1 च	0.101
	320/2, 321/2	0.020
	320/5	0.069
	318/1 ग	0.069
	318/1 छ	0.073
	320/3, 321/3	0.020
	326/2	0.040
	318/1 घ	0.040
	319/1	0.028
	320/4, 321/4	0.020
	327/1	0.061
	318/1 ङ	0.069
	319/2	0.121
	321/5, 320/7	0.057
योग	19	0.869

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-पावर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा 400/220 के.व्ही. उपकेन्द्र विस्तार हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 मार्च 2011

भू-अर्जन प्र. क्र. 10/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-पुसौर
 (ग) नगर/ग्राम-जामपाली, प. ह. नं. 26
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.718 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.109
1/4	0.024
5/2	0.242
5/4	0.012
6/2	0.081
6/4	0.049
6/6	0.056
6/9	0.057

(1)	(2)
7/3	0.016
7/11	0.016
8/5	0.012
9/2	0.070
34/4	0.008
35/2	0.105
36/1	0.109
37/2	0.004
6/10	0.085
7/7	0.008
1/2	0.077
5/1	0.279
5/3	0.142
6/1	0.097
6/3	0.008
6/5	0.045
6/7	0.049
7/1	0.097
7/2	0.016
8/2	0.194
9/1	0.388
10/3	0.024
35/1	0.049
35/3	0.081
36/2	0.069
37/4	0.040
योग 34	2.718

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-पावर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा 400/220 के.व्ही. उपकेन्द्र विस्तार हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.